भाग III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	14	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल रायसेन द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, *गढ़ी से अहमदपुर तक मार्ग निर्माण हेतु , परिक्षेत्र गढ़ी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 36, 38, 37, 35, पी.एफ. 987, आर.एफ. 48 एवं पी.एफ. 98B की कुल 6.930 हे0 वनभूमि, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल* को उपयोग पर देने के लिये, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि 8.6.2023

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(राजेश कुमार खरे)

वनसंरक्षक,

भोपाल वृत्त भोपाल

8/6/23

E:/cf act year 2012/FCA-1980 proforma.doc

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 1440
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8 जून 2023

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

विषयः– जिला रायसेन, वनमंडल रायसेन अंतर्गत गढ़ी से अहमदपुर तक मार्ग निर्माण हेतु 6.930 हेक्टर वनभूमि , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।
(ऑन लाईन प्रस्ताव क्र FP/MP/ROAD/149386/2021)

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन का पत्र क्रमांक/माचि/894 दिनांक 6/6/23

—00—

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन ने संदर्भित पत्र द्वारा रायसेन जिले के अंतर्गत **गढ़ी से अहमदपुर तक मार्ग निर्माण हेतु , परिक्षेत्र गढ़ी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 36, 38, 37, 35, पी.एफ. 987, आर.एफ. 48 एवं पी.एफ. 98B की कुल 6.930 हे0 वनभूमि, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल को उपयोग पर देने बावत्** , वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, निर्धारित प्रारूप भाग II की पूर्ति उपरांत, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार **व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कुल 887 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।**

प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल **कुल 6.930 हेक्टेयर वनभूमि के बदले, में कलेक्टर जिला रायसेन के पत्र क्र/42/अ–20(3)/कले./2022–23 दिनांक 27/01/2023 से तहसील सिलवानी अतंर्गत ग्राम घूरपुर के खसरा क्रमांक 125 में से 10.679 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 126 में से 9.480 हेक्टेयर कुल 20.159 हेक्टेयर गैर वनभूमि, (नोईयत छोटे बड़ेझाड़ का जंगल मद) वन विभाग को हस्तांतरित की गई हैं।**

जिसके संबंध में वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल रायसेन के पत्र क्रमांक/माचि/847 दिनांक 26/05/2023 द्वारा परिक्षेत्र पूर्व सिलवानी अंतर्गत उपरोक्तानुसार प्राप्त **खसरा क्रमांक 125 की भूमि में से 4.380 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 126 की भूमि में से 9.480 हेक्टेयर कुल 13.860 हेक्टर छोटे बड़ेझाड़ का जंगल मद दुगनी गैर वनभूमि** पर क्षतिपूर्ति वनीकरण करने हेतु प्रस्तुत स्थल विशेष की 11 वर्षीय (वर्ष 2023–24 से 2033–34 तक) वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना, राशि रू 92,96,008/– की तकनीकी स्वीकृति कार्यालयीन आदेश क्र/माचि/169 दिनांक 30/05/2023 द्वारा जारी की जा चुकी हैं, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल रायसेन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित दो** प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।
संलग्नः–यथावर्णित।

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 1441 भोपाल, दिनांक 8 जून 2023

प्रतिलिपिः–वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल रायसेन की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

2. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल की ओर सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।।

वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2023.doc

8/6/23

Scanned by CamScanner

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)
जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)
E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone No. 07482 - 222027)

रायसेन, दिनांक 06/06/2023

क्रमांक/माचि/894
प्रति,
वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल।

विषय :- Proposal for Divesion of 6.930 ha Forest land for Constructions of **Garhi-Ahmedpur** Road Under ADB VI/VII Project of MPRDC PKG 4 Under Raisen Forest Division in Raisen District MP. - Reg.

संदर्भ :- संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी भोपाल का ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक /FP/MP/ROAD/149386/2021 दिनॉक 30.11.2022 एवं पत्र कमांक/1874 दिनांक 02.03.2023 (इस कार्यालय मे प्राप्त दिनांक 06.03.2023)

वन संरक्षक, वृत्त भोपाल
आवक क्र. 4911
दिनांक 08-06-23

—— 00 ——

अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण के संबंध में संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी भोपाल द्वारा वनक्षेत्र मे **गढ़ी–अहमदपुर** रोड निर्माण कार्य की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव भारत सरकार के "परिवेश पोर्टल" पर ऑनलाईन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रपोजल कमांक/FP/MP/ROAD/149386/2021 है।

तत्संबंध मे लेख है कि वन संरक्षण अधिर्नियम 1980 के तहत प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव मे आवेदक विभाग द्वारा वन मण्डल रायसेन सामान्य के अंतर्गत कुल 6.930 हेक्टेयर वनभूमि उपरोक्त मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2023 द्वारा गढ़ी–अहमदपुर मार्ग हेतु ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा कमांक 125 मे रकबा 4.380 हेक्टेयर एवं खसरा कमांक 126 मे रकबा 9.480 हेक्टेयर कुल 13.860 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि आवंटन का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त तारतम्य मे इस कार्यालय द्वारा **गढ़ी–अहमदपुर मार्ग** हेतु दुगनी 13.860 हेक्टेयर गैर वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) मे 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर कार्यालयीन पत्र कमांक/माचि/847 दिनांक 26.05.2023 द्वारा तकनीकी स्वीकृति हेतु आपकी ओर प्रेषित की गई। तदानुसार आपके आदेश कमांक/माचि/169 दिनांक 30.05.2023 द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित 6.930 हेक्टेयर वनभूमि के विरूद्ध 13.860 हेक्टेयर गैर वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) मे 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है।

अतः सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तावित **गढ़ी–अहमदपुर** मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित 6.930 हेक्टेयर वन भूमि उपरोक्त मार्ग निर्माण कार्य हेतु व्यपवर्तन पर दिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रकरण के संबंध मे ऑनलाईन भाग–2 की आवश्यक पूर्ति उपरान्त प्रकरण हार्ड कॉपी सहित मय **अनुशंसा** के आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन
रायसेन, दिनांक /06/2023

पृ0क्रमांक/माचि/
प्रतिलिपि :-

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

2 संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी भोपाल की ओर उनके ऑनलाईन प्रस्ताव कमांक /FP/MP/ROAD/149386/2021 दिनॉक 30.11.2022 एवं पत्र कमांक/1874 दिनांक 02.03.2023 (इस कार्यालय मे प्राप्त दिनांक 06.03.2023) के संबंध मे सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन

Scanned by CamScanner